



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19072022-237371
CG-DL-E-19072022-237371

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 513]
No. 513]

नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 19, 2022/आषाढ 28, 1944
NEW DELHI, TUESDAY, JULY 19, 2022/ASHADHA 28, 1944

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 जुलाई, 2022

सं. 17/2022-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

सा.का.नि. 583(अ).—केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 2002 (2002 का 20) की धारा 147 के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोक हित में आवश्यक है, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 4/2022-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 30 जून, 2022, जिसे संख्या सा.का.नि. 492 (अ), दिनांक 30 जून, 2022 में भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में,-

- क्रमांक 1 के सामने, कॉलम (4) में प्रविष्टि के लिए, प्रविष्टि "शून्य" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- क्रमांक 2 के सामने, कॉलम (4) में प्रविष्टि के लिए, प्रविष्टि "रु. 10 प्रति लीटर" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

2. यह अधिसूचना 20 जुलाई, 2022 से प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 354/15/2022-टीआरयू]

नितिश कर्नाटक, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 19th July, 2022

No. 17/2022-Central Excise

G.S.R. 583(E).—In exercise of the powers conferred by section 5A of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944) read with section 147 of Finance Act, 2002 (20 of 2002), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 04/2022-Central Excise, dated the 30th June, 2022, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 492 (E), dated the 30th June, 2022, namely:-

In the said notification, in the Table,-

- (i) against S. No. 1, for the entry in column (4), the entry “Nil” shall be substituted;
 - (ii) against S. No. 2, for the entry in column (4), the entry “Rs. 10 per litre” shall be substituted;
2. This notification shall come into force on the 20th day of July, 2022.

[F. No. 354/15/2022-TRU]

NITISH KARNATAK, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 जुलाई, 2022

सं. 18/2022-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

सा.का.नि. 584(अ).—केंद्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 2002 (2002 का 20) की धारा 147 के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस बात का समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में यथा विनिर्दिष्ट है और जो कि उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में यथा विनिर्दिष्ट उत्पाद शुल्क अधिनियम की चौथी अनुसूची के अध्याय, शीर्ष या उप शीर्ष या टैरिफ मद के क भीतर आने वाले उत्पाद शुल्क योग्य माल को, वित्त अधिनियम, 2002 की आठवीं अनुसूची के साथ पठित धारा 147 के अधीन उस पर उद्धृत विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क से छूट प्रदान करती है जितना वह उक्त सारणी के स्तम्भ (4) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट दर से परिकलित रकम से अधिक है:

सारणी

क्र.सं.	अध्याय या शीर्ष या उप शीर्ष या टैरिफ मद	माल का विवरण	दर
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	2709	कच्चा पेट्रोलियम	17,000 रुपए प्रति टन
2.	2710	एविएशन ट्रबाईन फ्यूल	4 रुपए प्रति लीटर

2. यह अधिसूचना 20 जुलाई, 2022 से प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 354/15/2022-टीआरयू]

नितिश कर्नाटक, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th July, 2022

No. 18/2022-Central Excise

G.S.R. 584(E).—In exercise of the powers conferred by section 5A of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944) read with section 147 of the Finance Act, 2002 (20 of 2002), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts the excisable goods of the description specified in column (3) of the Table below, and falling within the Chapter or heading or sub-heading or tariff item of the Fourth Schedule to the said Central Excise Act as specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table, from so much of the Special Additional Excise Duty leviable thereon under section 147 read with the Eighth Schedule to the said Finance Act, 2002, as is in excess of the amount calculated at the rate specified in the corresponding entry in column (4) of the said Table:

TABLE

S. No.	Chapter or heading or sub-heading or tariff item	Description of Goods	Rate
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	2709	Petroleum crude	Rs. 17,000 per tonne
2.	2710	Aviation Turbine Fuel	Rs. 4 per Litre

2. This notification shall come into force on the 20th day of July, 2022.

[F. No. 354/15/2022-TRU]

NITISH KARNATAK, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 जुलाई, 2022

सं. 19/2022-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

सा.का.नि. 585(अ).— केंद्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 2002 (2002 का 20) की धारा 147 और वित्त अधिनियम, 2018 (2018 का 13) की धारा 112 के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस बात का समाधान होने पर कि ऐसा करना लोक हित में आवश्यक है, नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में जो विनिर्दिष्ट है और जो कि उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट उत्पाद शुल्क अधिनियम की चौथी अनुसूची के अध्याय, शीर्ष या उप शीर्ष या टैरिफ मद के भीतर आने वाले उत्पाद शुल्क योग्य माल को, उक्त वित्त अधिनियम, 2002 की आठवीं अनुसूची के साथ पठित धारा 147 के तहत उस पर लगाए जाने वाले संपूर्ण विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क और उक्त वित्त अधिनियम, 2018 की धारा 112 के तहत उस पर लगाए जाने वाले संपूर्ण अतिरिक्त उत्पाद शुल्क से छूट देती जो विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) में स्थित इकाइयों से निर्यात किए गए हैं:-

सारणी

क्र.सं.	अध्याय या शीर्ष या उप शीर्ष या टैरिफ मद	माल का विवरण
(1)	(2)	(3)
1.	2710	मोटर स्प्रीट, सामान्यतया जिसे पेट्रोल के नाम से जाना जाता है
2.	2710	हाई स्पीड डीज़ल ऑयल
3.	2710	एविएशन टूबाईन फ्यूल

2. यह अधिसूचना 20 जुलाई, 2022 से प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 354/15/2022-टीआरयू]

नितिश कर्नाटक, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th July, 2022

No. 19/2022-Central Excise

G.S.R. 585(E).—In exercise of the powers conferred by section 5A of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944) read with section 147 of the Finance Act, 2002 (20 of 2002) and section 112 of Finance Act, 2018 (13 of 2018), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts the excisable goods, when exported from units located in the Special Economic Zone (SEZ), of the description specified in column (3) of the Table below, and falling within the Chapter or heading or sub-heading or tariff item of the Fourth Schedule to the said Central Excise Act as specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table, from the whole of Special Additional Excise Duty leviable thereon under section 147 read with the Eighth Schedule to the said Finance Act, 2002, and from the whole of additional duty of excise leviable thereon under section 112 to the said Finance Act, 2018:-

Table

S. No.	Chapter or heading or sub-heading or tariff item	Description of Goods
(1)	(2)	(3)
1.	2710	Motor Spirit, commonly known as petrol
2.	2710	High speed diesel oil
3.	2710	Aviation Turbine Fuel

2. This notification shall come into force on the 20th day of July, 2022.

[F. No. 354/15/2022-TRU]

NITISH KARNATAK, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 जुलाई, 2022

सं. 20/2022-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

सा.का.नि. 586(अ).—केंद्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 2018 (2018 का 13) की धारा 112 के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस बात समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोक हित में आवश्यक है, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 10/2022-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 30 जून, 2022, जिसे संख्या सा.का.नि. 498 (अ), दिनांक 30 जून, 2022 में भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रमांक 1 के सामने, कॉलम (4) में प्रविष्टि के लिए, प्रविष्टि "शून्य" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

2. यह अधिसूचना 20 जुलाई, 2022 से प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 354/15/2022-टीआरयू]

नितिश कर्नाटक, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th July, 2022

No. 20/2022-Central Excise

G.S.R. 586(E).— In exercise of the powers conferred by section 5A of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944) read with section 112 of Finance Act, 2018 (13 of 2018), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 10/2022-Central Excise, dated the 30th June, 2022, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 498 (E), dated the 30th June, 2022, namely,-

In the said notification, in the Table, against S. No. 1, for the entry in column (4), the entry “Nil” shall be substituted;

2. This notification shall come into force on the 20th day of July, 2022.

[F. No. 354/15/2022-TRU]

NITISH KARNATAK, Under Secy.